राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–लेखा / विविध / मु0 / 2015 / दिनांक :

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– अधिनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों पर समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पर पुर्ननियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत्।

प्रसंग– शासन संयुक्त सचिव, चिकित्स एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के पत्रांक प.17(15)चिस्वा / 2 / 2009 दिनांक 16–12–2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों में लेखा संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध लेखा संवर्ग से सेवानिवृत इच्छुक पात्र कार्मिकों की संविदा पर पुर्ननियुक्ति हेतु सेवाएं लिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 28–01–2015 रखी गयी है। अतः विभागीय विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर लेख है कि इसका नियमानुसार राजस्थान के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन अतिशीघ्र करावें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

sd/-
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–लेखा / विविध / मु0 / 2015 / 66 दिनांक : 13-01-2015

प्रतलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित / प्रशासन) निदेशालय।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार मुख्यालय।
6. रक्षित पत्रावली।
7. सर्वर कक्ष प्रभारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

D:\Durga Shankar ji\Letter.doc

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–लेखा/विविध/मुख्यालय/2015/65 दिनांक : 13-01-2015

–:विज्ञप्तिः–

शासन संयुक्त सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प–17/(15) चि0स्वा0/2/2009 दिनांक 16.12.2014 के अनुसरण में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यालयों में अधिनस्थ लेखा सेवा के रिक्त पदों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164 ए एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 26.05.2014 में विहित शर्तो के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2015 तक अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक सेवानिवृत्त पात्र कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक पर सविंदा पर पुर्ननियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्रम सं0	जोन कार्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
		सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड–I	सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड–II (लेखाकार)	कनिष्ठ लेखाकार
1	संयुक्त निदेशक चि.एवं.स्वा. सेवायें, जोनः– जयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर	रिक्त पद–35	रिक्त पद–05	रिक्त पद–37

उपरोक्त रिक्त पदों हेतु इच्छुक अधिनस्थ लेखा सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिक संबंधित जोन कार्यालयों से निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर **निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर** को आवेदन पत्र भरकर **अंतिम दिनांक 28–01–2015** तक भिजवायें।

रिक्त पदों की सूचना, आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं शर्ते विभाग की वेबसाइट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(बी.आर.मीणा)
निदेशक(जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

D:\Durga Shankar ji\Office Order.doc

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लेखाकार) / कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पदों की सूचना

कार्यालय का नाम	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II (लेखाकार)	कनिष्ठ लेखाकार
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	-	-	9
जोन–अजमेर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	3	-	4
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा	-	1	-
जोन–बीकानेर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	3	-	3
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चुरू	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, रतनगढ, चुरू	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री गंगानगर	1	-	-
जोन–भरतपुर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	3	-	2
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,धौलपुर	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,करौली	-	1	-
जोन–जयपुर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	1	-	6
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू	1	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, कांवटिया	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जयपुरिया	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनू	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाइट, बनीपार्क	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेठी कॉलोनी	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा	-	1	-
जोन–जोधपुर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	4	-	4
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही	1	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाडमेर	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरोही	1	-	-
जोन–कोटा			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	1	-	4
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	1	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी	1	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांरा	1	-	-
जोन–उदयपुर			
संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय	5	-	5
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	1	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डुंगरपुर	-	-	-
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ	1	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द	-	-	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डुंगरपुर	-	1	-
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सांगवाडा	-	1	-
योग	**35**	**5**	**37**

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 जयपुर, दिनांक 26 MAY 2014

परिपत्र

विषयः–सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त।

राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक ज्ञापन (Memorandum) दिनांक 31.10.1995 एवं समय–समय पर किये गये संशोधनों के अतिक्रमण में मंत्रिमण्डलीय आज्ञा क्रमांक 251/2013 दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के अनुक्रम में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(6)वित्त/नियम/2009 दिनांक 27.09.2013 के तहत जोडे गये राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–164A के अनुक्रम में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, संस्थाओं जिनके लिए सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति कर सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक, चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों तथा संस्थाओं की रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति हेतु विभाग के प्रशासनिक सचिव के द्वारा संवर्ग नियंत्रक अधिकारी की राय/सहमति के पश्चात कार्मिक विभाग और वित्त विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल उन पदों के विरूद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त हैं। इस हेतु :–

(i) राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में सेवाएं लेने हेतु संबंधित प्रशासनिक सचिव सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ii) विभागाध्यक्ष, अधीनस्थ सेवाओं और मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी काडर में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(iii) संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी मंत्रालयिक सेवा और चतुर्थ श्रेणी स्तर की रिक्तियों के लिए सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

12/2014

(3) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष की आयु से कम या कर्मचारी शारीरिक रूप से (चिकित्सकीय रूप से) उपयुक्त रहने तक, जो भी पहले हो, राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।

परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।

(4) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया/मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे।

(5) सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ठ – 'क' के अनुसार होगी।

उक्त परिशिष्ठ –'क' में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।

(6) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी, जो विगत पांच वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(7) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे सक्षम प्राधिकारी से ठीक उच्चतर अधिकारी की अनुज्ञा से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है। पुनर्नियुक्ति सेवाएं किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।

(8) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा। (परिशिष्ठ–'ख')

(9) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(10) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।

(11) संविदा, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन है।

(12) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।

(13) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।

यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101400500 दिनांक 21.05.2014 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/विभागाध्यक्ष।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1/ख–2) विभाग।
7. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
9. रक्षित पत्रावली।

(शैलेन्द्र श्रीमाली)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट–'क'

सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :–

क्रम सं.	वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 में वेतन बैण्ड + ग्रेड पे	समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में)
1.	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	5100
2	4750–7440+ग्रेड वेतन 1400	
3	4750–7440+ग्रेड वेतन 1650	
4	5200–20200+ग्रेड वेतन 1700	
5	5200–20200+ग्रेड वेतन 1750	
6	5200–20200+ग्रेड वेतन 1800	
7	5200–20200+ग्रेड वेतन 1850	
8	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	6800
9	5200–20200+ग्रेड वेतन 2000	
10	5200–20200+ग्रेड वेतन 2100	
11	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	
12	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800	
13	9300–34800+ग्रेड वेतन 3200	9000
14	9300–34800+ग्रेड वेतन 3600	
15	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200	12000
16	9300–34800+ग्रेड वेतन 4800	
17	9300–34800+ग्रेड वेतन 5400	15000
18	15600–39100+ग्रेड वेतन 5400	
19	15600–39100+ग्रेड वेतन 6000	18000
20	15600–39100+ग्रेड वेतन 6600	20000
21	15600–39100+ग्रेड वेतन 6800	
22	15600–39100+ग्रेड वेतन 7200	23000
23	15600–39100+ग्रेड वेतन 7600	
24	15600–39100+ग्रेड वेतन 8200	
25	37400–67000+ग्रेड वेतन 8700	26000
26	37400–67000+ग्रेड वेतन 8900	
27	37400–67000+ग्रेड वेतन 9500 नई ग्रेड पे	30000
28	37400–67000+ग्रेड वेतन 10000	

नोट :– उपरोक्त प्रस्तावित समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं होगा।

परिशिष्ट–'ख'

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला करार

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संविदा पुनर्नियुक्ति पर सेवाऐं लेने के लिए कार्मिक विभाग के परिपत्र सं. ....दिनांक................ ....द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसरण में निम्नलिखित करार राजस्थान सरकार, जिस अभिव्यक्ति में राज्यपाल की ओर से संविदात्मक करार करने के लिए सक्षम सरकार का प्राधिकारी सम्मिलित है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और श्री ....पुत्र/पुत्री श्री..निवासी... ....(जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के बीच किया जाता है। जिसके द्वारा निम्नलिखित रूप में यह करार किया जाता है :

1. संविदा वचनबंध द्वितीय पक्षकार को कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा और प्रथम पक्षकार इसे किसी भी समय समाप्त कर सकता है। द्वितीय पक्षकार इस प्रयोजन के लिए किसी प्रशासनिक, अर्द्ध–न्यायिक या न्यायिक अनुतोष का अवलम्ब लेने का हकदार नहीं होगा।
2. द्वितीय पक्षकार द्वारा मूल विभाग के अधीन की गई पूर्व सेवा, यदि कोई हो, की कोई सुसंगति नहीं होगी या उसे सेवा फायदों की किसी निरन्तरता के लिए गिना नहीं जायेगा।
3. संविदात्मक वचनबंध एक वर्ष की कालावधि के लिए या द्वितीय पक्षकार के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।
4. वचनबंध की संविदा कालावधि पर नवीकरण के लिए विचार किया जा सकेगा परन्तु संविदात्मक वचनबंध की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती......... ....का कार्य और आचरण संतोषजनक होना चाहिये। किसी भी दशा में संविदात्मक वचनबंध की निरन्तरता 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
5. संविदात्मक समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन प्रति मास ....रु. पर नियत की गई हैं कि समेकित पारिश्रमिक राशि सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन+ग्रेड पे) में से मूल पेंशन राशि कम करने पर अवशेष रही राशि से अधिक नहीं होगी। द्वितीय पक्षकार को पारिश्रमिक समनुदेशित कार्य के संतोषजनक निर्वहन पर निर्भर होगा। किसी कमी की दशा में प्रथम पक्षकार तद्नुसार पारिश्रमिक अवधारित करने के लिए प्राधिकृत होगा।
6. संविदात्मक वचनबंध 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अधीन होगा।

7. द्वितीय पक्षकार एक कलेण्डर वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश का उपयोग करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा।
8. प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
9. अधिकारिता के भीतर कार्य स्थान सक्षम प्राधिकारी के नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार की ओर से विनिश्चित किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार को राजस्थान के भीतर या बाहर कहीं भी कार्य करने के लिए भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा।
10. ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।
11. द्वितीय पक्षकार द्वारा समस्त नियमों और विनियमों, निदेशों और आदेशों का अनुपालन किया जाना है जो पहले से ही प्रवर्तन में है और जो संविदा कालावधि के दौरान जारी किये जा सकते हों।
12. पक्षकारों के बीच किसी विवाद को ऐसे प्राधिकारी को, जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

साक्षीः
1.
2.

प्रथम पक्षकार की ओर से हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

साक्षीः
1.
2.

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. अर्हताएं :
5. मूल विभाग का नाम :
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद :
7. अनुभव :
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) (एलपीसी संलग्न है) :
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) :
10. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय) :
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) :

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं..दिनांक.....................................में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 10 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती.. पुत्र/पत्नी..जो सेवानिवृत्ति से पूर्व.............................. पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती............ ....रु. मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती............ ....के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

12/2014